

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक /

दिनांक-

जनपद गाजीपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक- 13.05.2026 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जनपद गाजीपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की दिनांक-13.05.2026 को आहूत समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 3- समस्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- समस्त जू०इ०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 5- जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० गाजीपुर।
- 6- डी०पी०एम०- टी०पी०आई०, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, गाजीपुर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एण्ड एस०एम०सी० इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच०एफ०सी०एल०।

"जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.2026 को आहूत की गयी। जिसमें अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु तीन कार्यदायी संस्थाये कार्यरत है, जिसमें फेज-2 में क्रमशः मेसर्स एल० एण्ड टी० के द्वारा 176 नग पेयजल योजनाओं द्वारा 404 नग राजस्व ग्राम, मेसर्स वी०एस०ए० के द्वारा 175 नग पेयजल योजनाओं द्वारा 762 राजस्व ग्राम एवं फेज-5 में मेसर्स एच०एफ०सी०एल० के द्वारा 412 नग पेयजल योजनाओं द्वारा 1030 राजस्व ग्राम में कार्य कर रही है। जनपद में कुल 763 नग योजनाओं के अन्तर्गत 1055 नग नलकूप के लक्ष्य के सापेक्ष 939 नग पूर्ण, पम्प हाउस 1055 नग के सापेक्ष 520 नग पूर्ण, 875 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 224 नग पूर्ण, 11907.91 किमी० पाइप लाइन के सापेक्ष 9128.15 किमी० पूर्ण, 1055 नग सोलर/विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 397 नग पूर्ण कर लिया गया है। जनपद में 2196 राजस्व ग्राम के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय के माध्यम से 249 राजस्व ग्रामों में तथा सीधे पम्पिंग के माध्यम से 288 राजस्व ग्रामों में कुल 537 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

अतः बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पेयजल योजनाओं की प्रगति, जलापूर्ति की स्थिति, पाइप लाइन की प्रगति, विद्युत संयोजन एवं आपरेशन/मैन्टेनेन्स के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गयी। जिसमें पाया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही 763 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 81 नग योजनाएं पूर्ण की गयी है जो लक्ष्य का 10.61 प्रतिशत है। जिस पर कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था नहीं हो पायी है। फलस्वरूप निर्देश दिये गये कि जनपद में 212 नग योजनाएं ऐसी है जिनकी प्रगति 76 प्रतिशत से 99 प्रतिशत है। उन योजनाओं की साप्ताहिक कार्य योजना तैयार करते हुए

Letter/11/2025/111

01/03



30 जून 2026 तक पूर्ण कर लिया जाय। इन योजनाओं के पूर्ण होने से जनपद की प्रगति लगभग 38 प्रतिशत तक हो जायेगी। कार्यदायी संस्थावार प्रगति विवरण निम्नवत है:-

Sl. No	Name of Firm	Total No. of W/S Scheme	Total No. of Revenue Village	Complete Schemes	Ongoing					
					0-25%	26-50%	51-75%	76-99%		
								76-80%	81-90%	91-99%
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
1	मेसर्स लार्सन एण्ड टूबो	176	404	53	25	27	24	5	21	24
2	मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा	175	762	18	32	44	37	8	27	10
3	मेसर्स एच०एफ०सी० एल०	412	1030	10	59	128	98	38	72	7
Total-		763	2196	81	116	199	159	51	120	41

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, समस्त सहायक अभियन्ताओं, समस्त जू०इं०, डी०पी०एम०-टी०पी०आई० एवं कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को जनपद में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति बढ़ाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1- जनपद अन्तर्गत विभिन्न तहसीलों में भूमि अनुपलब्धता एवं भूमि विवाद के कारण जिन पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं हो सका है ऐसी योजनाओं पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु निरंतर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- सभी कार्यदायी फर्म निर्माणाधीन एवं प्राथमिकता के आधार पर लक्षित 212 नग पेयजल योजनाओं को 30 जून 2026 तक पूर्ण करने हेतु निर्धारित साप्ताहिक लक्ष्य की प्रगति असन्तोषजनक पायी गयी जिसे अगामी बैठक तक साप्ताहिक लक्ष्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

3- जनपद अन्तर्गत जिन राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति संचालित की जा रही है उसे निर्बाध रूप से संचालन हेतु बिछायी गयी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त तत्काल मरम्मत कराते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाय।

4- पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त की गयी सड़क/मार्गों को तत्काल मोटरेबल कराते हुए ससमय गुणवत्तापूर्वक पुर्नस्थापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे आम जनमानस को असुविधा का समाना न करना पड़े एवं जिन योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति संचालित की जा रही है ऐसी योजनाओं पर शतप्रतिशत रोड़ मरम्मत का कार्य 30 जून 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये।

5- जनपद अन्तर्गत विद्युत आधारित पेयजल योजनाओं पर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कराते हुए पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं झटपट पोर्टल के माध्यम से पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

6- पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों की अनुकूल प्रगति प्राप्त न होने पर कार्यदायी फर्मों को नोटिस निर्गत किया जाय।

7- IGRS एवं जल जीवन मिशन पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अन्त में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कियोजनाओं पर कुशल श्रमिकों का अत्यन्त अभाव होने के कारण कार्यदायी संस्थाओं के कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। फलस्वरूप समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर प्रतिदिन कार्यरत श्रमिकों की समीक्षा करते हुए

02/03

आवश्यक कार्यरत श्रमिक न होने पर कार्यदायी फर्म को पुनः नाटिस देते हुए फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाय एवं साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये जाते है कि जनपद के सभी ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य गुणवतापूर्वक, ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी
गाजीपुर।

पृ०सं०- १२१ / DWSM-कार्यवाही २५ दिनांक: १९-०५-२०२६
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वाराणसीक्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
11. समस्त कार्यदायी संस्था, डी०सी०-डी०पी०एम०यू०, डी०पी०एम०-टी०पी०आई०, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर।

कृपया
सहमति
दिने
रिश्ताकार